

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

--: लोक सूचना :-

क./3248/भू-अर्जन/02 अ 82/2017-18

कोरबा, दिनांक 23.09.2020

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा - 21 के अंतर्गत)


एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ 82 वर्ष 2017-18 ग्राम खरहरकुड़ा प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. बरपाली तहसील करतला में 01 खातेदार के निजी भूमि रकबा 0.14 ए./0.057 हे. मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत खरहरकुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का लोक हित में अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका विवरण नीचे दर्शित है, के स्वत्व माप एवं प्रतिकर के संबंध में तथा ऐसे भूमि में सभी के हितों के लिये प्रतिकरों और पुनर्वास व प्रतिस्थापन के दावे में हितबद्ध व्यक्ति, पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा दिनांक 24.10.2020 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा में उपस्थित होकर लिखित में और हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत कर सकता है :-

क.	भूमिस्वामी का नाम मय वल्लिद्यत	ख.नं.	अर्जन हेतु
			प्रस्तावित रकबा
			हे.में
1	2	3	4
1	उमैद सिंह पिता पंचराम जाति कंवर साकिन बंजारी	79/5	0.057
योग		1	0.057

दिनांक 23.09.2020

(सुनील कुमार नायक)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

1. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन शाखा) जन.संपर्क कार्यालय रायपुर की ओर दो प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसे दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर को सूचनार्थ। कृपया समाचार पत्र प्रकाशन कराकर पेपर कतरन की प्रति उपलब्ध करावे।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी.कोरबा को सूचनार्थ। कृपया इसे जिले के वेबसाईट में अपलोड करें।
5. सर्वसंबंधित को सूचनार्थ ।


(सुनील कुमार नायक)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)